भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3092
दिनांक 21 दिसम्बर, 2023

शहरों में गैस की मांग

†3092. श्रीमती चिंता अनुराधा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाली गेल (इंडिया) लिमिटेड को घरों और परिवहन क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए घरेलू क्षेत्रों से गैस आयात करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू क्षेत्रों से सभी शहरी गैस मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख) सरकार ने जुलाई-सितम्बर, 2023-24 के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस (परिवहन) और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (घरेलू) खंडों में नगर गैस वितरण (सीजीडी) कम्पनियों के लिए प्राकृतिक गैस के प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) का 21.143 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) का आवंटन किया है। किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता को सीजीडी कम्पनियों द्वारा स्वयं ही खुले बाजार से अधिप्राप्त करना होगा। घरेलू गैस की अधिप्राप्ति एचपी-एचटी क्षेत्रों या विपणन और मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता वाले क्षेत्रों सहित बिना किसी पक्षपात के पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से संविदाकारों द्वारा लगाई गई बोली के माध्यम से अनुमति की गई है। गेल ऐसी बोली प्रक्रिया में एक बाजार के प्रतिभागी के रूप में भाग लेता है।

(ग) और (घ) सरकार ने घरेलू क्षेत्रों से नगर गैस की माँग को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) खंडों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युत और अन्य गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से घरेलू गैस का विपथन करना, सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) क्षेत्र को घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता के रूप में घोषित करना, किसी भी स्थिति में बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत गैस के आनुपातिक वितरण की आवश्यकता के दृष्टिगत उच्च दाब उच्च ताप (एचपी-एचटी) गैस की आपूर्ति के लिए सीएनजी (टी) / पीएनजी (डी) क्षेत्र को प्राथमिकता देना, इत्यादि शामिल है। पिछली तिमाही में सीजीडी क्षेत्र को आवंटन 102.5% की खपत पर किया गया है। इसके अलावा, पिछली तिमाही में पीएनजी खंड को आवंटन 105% की खपत पर किया गया है।

****